

हुकम या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

राजस्व लोक अदालत  
ज्याय आपके द्वार

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुकम की तालीम  
में जारी हुए  
2018

जबान तहसीलदार खलेवा दाना डिह्री कल्याण  
जाने का निवेदन किया।

शाबरमल

हमने फनावली, पत्रावली  
पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड, वेडाशुदा  
दरनावेजात एवं जबाब तहसीलदार खलेवा  
का अवलोकन किया गया मुनाबिह रिपोर्ट  
तहसीलदार खलेवा ग्राम लाखनी के व. नं० 279,  
280, 281 रकबा 1.62 हे० में हिस्सा 1/3 एवं  
ख. नं० 275, 276, 278, 304, 305, 442, 444  
रकबा 2.83 हे० में हिस्सा 1/6 में शाबरमल  
पुत्र मंगल राम दर्ज है। उक्त नुमांदा खलेवारी  
मुनाबिह विक्रय लेख दर्ज है जो उप-  
पंजीमंड कार्यालय श्रीमहापुर में दिनांक 17<sup>06</sup>/<sub>96</sub>  
व 23.05.1996 को पंजीकृत है। कादी के  
परिवार सशम कर्त, मतदान पहचान पत्र, अंड-  
नालिश माहामिह खिला केर राजस्थान  
अजमेर, आधार कर्त व ड्राईविंग लाइसेंस  
सभी में कादी का नाम शाबरमल पुत्र  
बंकीधर अंडित है। मंगलराम कादी  
शाबरमल का मामा था, जिसकी जातेवारी  
कादी ने रूप की थी। पूछताछ पर पया  
की कादी अपने मामा के सगे पुत्र  
पुत्र के रूप में रह रहा है तथा विक्रय  
पत्र में श्री वास्तविह पिला के स्थान पर  
दत्त पिला यानि मामा का नाम अंडित करण  
पिला अंडित कादी के वास्तविह (प्राकृति) पिला  
बंकीधर ही है।

अतः तहसीलदार खलेवा  
की रिपोर्ट के आधार पर एवं प्रदत्त  
दानावेजात के आधार पर कादी का  
स्वीकार किया जाने योग्य पाये जाये  
पर स्वीकार किया जाय है तथा पीछा

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

की जाती है कि:-

आदेश

तब ग्राम लाखनी तहसील खण्डेल जिला सीकर अवस्थित कृषि भूमि ख.नं० २७९, २८०, २८१ रकबा १.६२ हे. में दि. १/३ एवं ख.नं० २७५, २७६, २७७, ३०५, ३०६, ५५३, ५५५ रकबा २.८३ हे. में हिस्सा १/६ में वादी का नाम "झाबरमल पुत्र मंगलाराम" के स्थान पर "झाबरमल पुत्र बंशीधर" पुनः कृषि जात है। उक्तानुसार राजस्व रिपोर्ट में अमल परामर्श हो तदनुसार प्रकृता में पर्चा डिक्री मुर्कवि हो। फगल पैसल शुमार होकर नम्बर के कम हो तथा बाद तहसील गणिल पत्रर हो। निर्णय आज दिनांक डेम्प ०२-०५-२०१८ को डेम्प कोर्ट लाखनी में मजसे आम सुनाया गया।



१२/५/१८  
नागीरथ शाख  
(RAS)  
सहायक कलक्टर  
(फास्ट ट्रेक) खण्डेला

# डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

राजस्व लोक अदालत अभियान  
न्याय आपके द्वार - 2018

अज अदालत सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेड) मुकाम खखेला

व इजलास श्री भागीरथ शाख, RAS

① शाबरमल पुत्र बैकीकर बनाम भूमिधारी तहसील (खेला)

दावा बाबत जोड़ना व रिजर्व प्रकृती

मुकद्दमा नं. 86 सन 2017

मह मुकद्दमा आज वारत इनाफिसाल कतई रुबरु श्री भागीरथ शाख, RAS

व हाजिरी श्री राजेश चेल मिगजानिय मुदत रुबरु

मिगजानिय मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि

तन ग्राम लाखनी तहसील खेला जिला सीकर अर्बिज  
कुछ भूमि खं नं 279, 280, 281 रकबा 1.69 है में  
हिनम) 113 एवं खं नं 215, 216, 218, 304, 305, 442, 444  
रकबा 2.83 है में हिनम 116 में वादी का नाम "शाबरमल" है

मिगजानिय मुदत रुबरु ख बाबत ख

मिगजानिय मुदत रुबरु ख फीसदी ख आज की तारीख से

तारीख अदायगी तक ख का अदा करे।

वसल मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 02 माह 05 सन 2018 को

जारी की गई



दस्तखत  
भागीरथ शाख  
आहवा (RAS)

मुहर

मुद्दे	रुपये	पैसे	मुदायलह	सहायक क्लर्क (फास्ट ट्रेड) खखेला	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुकमनामा		
बाबत इजराय हुकमनामा			मुतफरिक		
मुतफरिक					
			मीजान		

नोट इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

✧ जाति जाट उम्र 52 साल निवासी ग्राम लावनी  
तहसील खोला जिला सीकर (राज.)  
- (वादी)



काम  
✧ जिला सीकर (राज.)

- (प्रतिवादी)

✧ पुत्र ~~बंशीधर~~ मंगलाराम के लिये पर "इनामद" का  
पुत्र बंशीधर पुत्र मंगलाराम जिया जाता है। उक्तानुसार  
राजस्व रिपोर्ट में अमल परामद हो।

8/5/18  
जागीरदार शाख  
(RAS)  
सहायक कलेक्टर  
(कास्ट ट्रेड) खोला